न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—354/2015/223 आर.टी.एक्ट (2015/00208)

1. सुधीन्द्र जोशी पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

2. देवेन्द्र पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

अपीलांट्स

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र रामानन्द जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
2. अरविंद पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
3. शंकरलाल पुत्र रामानन्द जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
4. गोविन्दसहाय पुत्र रामानन्द जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
5. रामावतार पुत्र सुवालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
6. कैलाश पुत्र छीतरमल जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

   6/1 शांति देवी पत्नी कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून हाल निवासी 4/60 केसरीचन्द नगर अजमेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

   6/2 प्रशान्त पुत्र कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून हाल निवासी 4/60 केसरीचंद नगर अजमेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

   6/3 शोभा पुत्री कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून हाल निवासी 4/60 केसरीचंद नगर अजमेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

   6/4 प्रतिभा पुत्री कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून हाल निवासी 4/60 केसरीचंद नगर अजमेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

   6/5 विनिता पुत्री कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून हाल निवासी 4/60 केसरीचंद नगर अजमेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

   6/6 प्रीति पुत्री कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून हाल निवासी 4/60 केसरीचंद नगर अजमेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

   6/7 समीक्षा पुत्री कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून हाल निवासी 4/60 केसरीचंद नगर अजमेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
7. राजेन्द्र पुत्र छीतरमल जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
8. प्रदीप पुत्र छीतरमल जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
9. सत्यनारायण पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
10. राजेन्द्र पुत्र बद्रीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
11. कन्हैयालाल पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान **(मृतक)**

11/1 शकुन्तला पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान। **नाम हजफ**

11/2 इन्दूमती पुत्री कन्हैयालाल पत्नी रामअवतार जाति ब्राहम्ण निवासी ए 165 जगदम्बा नगर हीरापुरा जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

11/3 सुमन जोशी पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

12. मदनलाल पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
13. भगवानसहाय पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान। **(मृतक)**

13/1 कल्पना पुत्री भगवानसहाय पत्नी अश्विनी कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान हाल निवासी ई 123 बैंक कॉलोनी मुरलीपुरा स्कीम जयपुर राजस्थान।

14. योगेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
15. रविन्द्र पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2004 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू शिविर प्रभारी अधिकारी केम्प मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद राजस्व वाद संख्या 124/2004

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0पारीक अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हरीश साहु अभिभाषक रेस्पोडेंट 1 से 4 व 9
3. श्री आर0एस0 खंगारोत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5 से 6/7, 7
4. श्री शिवराज शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 12, 13, 15
5. रेस्पोडेंट संख्या 8, 10, 11/2, 11/3, 14 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—16.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू शिविर प्रभारी अधिकारी केम्प मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 124/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/वर्तमान रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 10 ने एक राजस्व वाद संख्या 124/2004 बउनवानी भंवरलाल बनाम कन्हैयालाल व अन्य विरूद्ध कन्हैयालाल, मदनलाल भगवानसहाय पुत्रान स्व0 हनुमान जोशी के शिविर प्रभारी अधिकारी केम्प मौखमपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर के समक्ष वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती, इस्तकरारहक अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 9.12.2004 को प्रस्तुत किया। उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर शिविर प्रभारी अधिकारी केम्प

मौखमपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर द्वारा वाद पत्र की पुष्ट पर वाद दर्ज कर तहसीलदार की रिपोर्ट लेने, मिसल बंदोबस्त से जांच करने सभी संबंधित पक्षकारों के बयान लिए जाने तथा परिवार का सजरा पंचायत एवं मजमे आम से तस्दीक करवाने के आदेश पारित किए। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 9.12.2004 को प्रकरण का अंतिम निस्तारण करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू शिविर प्रभारी अधिकारी केम्प मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 124/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2004 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 8, 10, 11/2, 11/3, 14 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर कथन किया कि भूमि प्रार्थीगण के बाबत हनुमानजी की स्वयं की खातेदारी की भूमि थी जिसमें प्रार्थीगण अपने पिता के साथ को–पार्सनर है तथा को पार्सनर होने से अपने पिता के जीवनकाल में ही वे 1/9, 1/9 भाग के सह कृषक थे तथा दावे में भी आवश्यक पक्षकार थे। उक्त डिक्री एवं निर्णय में कानून के विरूद्ध किए गए राजीनामे के आधार पर पारित डिक्री से उनके अधिकार प्रभावित हुए है तथा हितधारी व्यक्ति होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। भूमि केवल हनुमान की थी। स्वअर्जित भूमि है वादीगण 1 लगायत 10 एवं हनुमान जी कभी संयुक्त परिवार के सदस्य नहीं रहे तथा न ही भूमि महादेव जी की खातेदारी में रही। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कहे गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थी व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू शिविर प्रभारी अधिकारी केम्प मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद के समक्ष प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर किए गए कथन सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः अपीलांट व्यथित व हितबद्ध पक्षकार होने व अपीलांट द्वारा किए गए कथन संतोषप्रद व उचित प्रतीत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

R.B.J(8)2001 PAGE 313-"***CIVIL PROCEDURE CODE, 1908- SECTION 96-*** *when a person is not a party in the lower court, but*

if he is a affected party, court should grant him leave for filling an appeal".
अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

7. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि प्रार्थी का प्रकरण गुणावगुण पर बनता है एवं यह न्याय का सूस्थापित सिद्धांत है कि जब प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय किए जाने योग्य बनता हो तो मियाद को कंडोन किया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्याय उचित व न्याय संगत है। मियाद के बिंदु पर नरम एवं उदार रूख अपनाना चाहिए तथा प्रकरण को तकनीकि बिंदुओं पर खारिज ना कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकार अपने हक व अधिकारों तथा न्याय से वंचित ना हो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।
R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge***.**
चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सद्भाविक प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

10. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र की पुष्ट पर स्वयं द्वारा अंकित की गई आदेशिका की पूर्ण रूप से पालना नहीं करवाई गई है, वाद पत्र की पुष्ट पर अंकित आदेशिका में परिवार का सजरा पंचायत एवं मजमे आम से तस्दीक करवाने का भी आदेश दिया गया था परंतु उक्त आदेश की पालना में सजरा पंचायत एवं मजमे आम से तस्दीक नहीं करवाया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं द्वारा अंकित की गई आदेशिका की पूर्ण पालना करवाए बिना निर्णय व डिक्री पारित किया है। शिविर प्रभारी अधिकारी कैम्प मौखमपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त शिविर इसी प्रकरण के निस्तारण हेतु लगाया गया हो तथा पूर्व सूचना कर समस्त राजस्व ऐजेन्सी तथा ग्राम पंचायत को एकत्रित किया गया हो। क्योंकि साधारणतया एक ही दिन में इतनी सारी कार्यवाही संपन्न नहीं करवाई जा सकती है एवं उक्त सभी कार्यवाही एक ही दिन में किया जाना भी संदेह की स्थिति उत्पन्न करती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है, जैसा कि सभी कार्यवाही कार्यालय में बैठकर ही तैयार की गई है, विवादित आराजी के मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार किया जाना मात्र दिखावटी है तथा संपूर्ण कार्यावाही को पहले से ही तैयार कर लिया जाना भी प्रतीत होता है। प्रथम सैटलमेंट संवत 2011 में विवादित आराजी का पर्चा स्व0 के हनुमान के नाम जारी किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त विवादित आराजी स्व0 हनुमान की स्वअर्जित आराजी है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त स्थिति पर गौर किए बिना विवादित आराजी को पैतृक होना मानते हुए निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में वर्तमान अपीलांट्स के दादा तन्हा स्व0 हनुमान के नाम दर्ज थी तथा विवादित आराजी स्व0 हनुमान की होने से पैतृक आराजी है तथा विवादित आराजी में कन्हैयालाल, मदनलाल तथा भगवानसहाय के वारिसान का जन्म से हक व अधिकार निहित था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में अंकित प्रावधानों के तहत दादा की संपत्ति में पौत्र का अधिकार निहित है। ऐसी स्थिति में स्व0 हनुमान के पौत्रों के मौजूद होने की स्थिति में कन्हैयाला, मदनलाल तथा भगवानसहाय को विवादित आराजी बाबत राजीनामा किए जाने अथवा विवादित आराजी रेस्पोडेंटस के नाम दर्ज करवाए जाने का कोई अधिकार निहित नहीं था। शिविर प्रभारी अधिकारी कैम्प मौखमपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर को कैम्प पक्षकारों की सहमति के आधार पर इस प्रकार दावा डिक्री किए जाने का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त नहीं है। क्योंकि इस प्रकार का हस्तांतरण केवल मात्र पंजीबद्ध दस्तावेज के माध्यम से पूर्ण मुद्रांक शुल्क जमा करवाकर ही किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में जिस प्रकार केवल मात्र सहमति के आधार पर आराजीयात का हस्तांतरण किया गया है, वह पूर्णतः अवैधानिक है तथा मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की बचत कर सरकार को राजस्व की हानि किए जाने का एक तरीका हो सकता है, जो न्यायोचित नहीं है। शिविर प्रभारी अधिकारी कैम्प मौखमपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत वाद में ग्राम पंचायत पक्षकार नहीं है, इसके बावजूद भी प्रकरण में सरपंच द्वारा कैम्प में आकर प्रस्तुत प्रकरण में बयान दिया जाना संदेहास्पद है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू शिविर प्रभारी अधिकारी केम्प मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 124/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक

09.12.2004 को निरस्त किए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– डी0एन0जे 2003(1)राजस्थान पेज 50, डी0एन0जे 2013(1)राजस्थान पेज 1708, आर0एल0डब्ल्यू0 2011(4) राजस्थान पेज 2637, आर0जे0टी 2015 (1) एस0सी0 पेज 580, आर0आर0टी0 2006–07(सप0)आर0आर0टी0443.

11. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि खसरा नम्बर 2098 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 2100 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा वाकै ग्राम मौखमपुरा में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्ति है। उक्त आराजीयात का प्रथम सेटलमेंट संख्या 2011 में हुआ तब परिवार का कर्ता खानदान स्व0 हनुमान पुत्र महादेव जोशी (ब्राहम्ण) के नाम से आ गया। उक्त आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण वंशावली के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त करते आ रहे है एवं अपने अपने हिस्से का लगान अदा करते आ रहे है तथा प्रार्थना पत्र अनुसार रिलीफ चाही है कि उक्त भूमि वादी नम्बर 1 लगायत 4 का 1/8 हिस्सा वादी नम्बर 5 का 1/4 हिस्सा वादीगण संख्या 6 से 8 का 1/4 हिस्सा एवं वादी नम्बर 9 व 10 का 1/4 हिस्सा व शेष 1/8 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2024(2) डी0एन0जे राजस्थान पेज 766, 2017 आर0आर0डी0 पेज 732.

12. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजीयात का प्रथम सेटलमेंट सं0 2011 में हुआ तब परिवार का कर्ता खानदान स्व0 हनुमान पुत्र महादेव जोशी के नाम से आ गया, अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी पुश्तैनी जमीन बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। अपीलांट के पूर्वज/ प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी होने के अधार पर दिनांक 9.12.2004 को प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश हुआ एवं वाद पत्र में अंकित वंशावली को स्वीकार किया है तथा प्रश्नगत भूमी को पक्षकारान की पैतृक आराजीयात होना भी स्वीकार किया है तथा दावे में वर्णित हिस्से अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु निवदेन किया। उक्त सहमति/राजीनामे के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को डिक्री किया गया है। प्रदर्श पी 2 में वंशावली प्रमाण पत्र है तथा प्रदर्श पी 3 जवावदावा है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को पुश्तैनी होना माना है साथ ही वादीगण का वाद डिक्री किये जाने में सहमति प्रदान की है। प्रतिवादीगण कन्हैयालाल, मदनलाल एवं भगवान सहाय पुत्र हनुमान द्वारा मजमें आम में बयान दिये गये जिसमें भी उन्होने वादग्रस्त आराजीयात को पुश्तैनी होना एवं हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त होना स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किये जाने से कोई एतराज नहीं होना बताया है। उक्त बयानों को उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा मजमे आम में तस्दीक भी

किया गया है। उक्त सहमति को तहसीलदार व हल्का पटवारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 09.12.2004 में भी वादग्रस्त आराजीयात को दावे एवं जवाब दावें में किये गये कथनानुसार ही वादग्रस्त आराजीयात पर सजरे अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से भली भांती प्रतीत होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपनी पुश्तैनी आराजीयात बाबत हुए गलत अंकन को मजमे आम में आपसी सहमति/राजीनामे से वाद को डिक्री करवाया गया है। स्वयं स्वीकृति से बडा कोई साक्ष्य नहीं है। जहां वाद को वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने के आधार पर डिक्री किया जाता है तो वहां तनकीयात बनाना आज्ञापक नहीं है।

अपीलांटस प्रतिवादीगण के पुत्र है तथा उक्त राजीनामें से किये गये निर्णय को अपास्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है इस संबंध में हमारा यह मत है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा गलत अंकन को दुरूस्त करवाकर राजीनामे द्वारा वाद को डिक्री करवाया गया है तो उसके वारिसान अपने पूर्वजों द्वारा किये गये कृत्यों से एस्टोप्ड है। इस संबंध में हमने अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2024 (2) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 766 का सम्मान अवलोकन किया। जिसमें स्पष्टया अंकन है कि राजीनामे द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपील के माध्यम से चुनौती नही दी जा सकती है।'' Validity of comporomise decree cannot be challenged'' जो हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा है। स्वयं स्वीकृति से बडा कोई साक्ष्य नहीं है। अतः उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से गलत अंकन दुरूस्त कर जारी करवाई गई है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

13. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय शिविर प्रभारी (उपखण्ड अधिकारी) दूदू कैम्प मोखमपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 124/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2004 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर